

काटे जाने वाले न्यूनतम वृक्षो सम्बन्धी वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पीलीभीत में पीलीभीत बस्ती मार्ग के किमी0 6 से लिपुलेक भिण्ड मार्ग के किमी0 372 तक पीलीभीत बाईपास निर्माण में पीलीभीत-मैलानी रेल खण्ड के चैनेज 258/11 एवं 258/12 के मध्य दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के कार्य में प्रस्तावित 0.1021 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


08-2-22
स. शाक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
1-0-07